# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :–

प्रकरण सख्या: 116/21

जीसीएमएस नं. 2021/289

सचिन यादव (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 17.12.2021

1.दिगम्बर 2.भूपेन्द्र पुत्रान जगन जातियान जाट नि. नंगला नाथूराम, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—-वादीगण सायलान

बनाम

1.अतरसिंह पुत्र रतनसिंह 2.कैलाराम पुत्र परताप 3.गोपालसिंह पुत्र समन्दरसिंह 4.चेतीराम पुत्र रतनसिंह 5 चन्द्रपाल पुत्र धर्मसिंह 6.मोहनसिंह पुत्र समन्दरसिंह 7.सुमेरसिंह पुत्र समन्दरसिंह 8.प्रेमसिंह पुत्र धर्मसिंह 9 दीपचन्द पुत्र परतापसिंह 10.भीमसिंह पुत्र केवल 11.रघुवीर पुत्र कलुआ 12.शिवसिंह पुत्र केवल 13.सरोज 14.विमला 15.माया 16.पुष्पा पुत्रीयान धर्मसिंह 17.जीतो पत्नि धर्मसिंह जातियान जाट नि. नंगला नाथूराम तह. भुसावर जिला भरतपुर

—-असल प्रतिवादीगण गैरसायलान

18.ओमवती पुत्री जगन पत्नि श्यामवीर जाति जाट नि. नंगला सिरिया जिला मथुरा उ.प्र.

19.शीला पुत्री जगन पत्नि जगपाल जाति जाट नि. नटवर नगर मथुरा उ.प्र.

20.सुनीता पुत्री जगन पत्नि सुग्रीव जाति जाट नि. नंगला सिरिया मथुरा उ.प्र.

21.राज. सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर राज.

—-तरतीवी प्रतिवादीगण गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता– 1.श्री हेमसिंह पाण्डेय —-प्रार्थीगण

## निर्णय दिनांक 25.07.2024

प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 389 रकबा 0.19, 391 रकबा 0.49, 394 रकबा 0.23 हैक्टे. किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्टे. एवं आ.ख.नं. 396 रकबा 0.56 हैक्टे. तथा आ.ख.नं. 359 रकबा 0.05, 362 रकबा 0.29, 381 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 03 कुल रकबा 0.38 हैक्टे. वाके ग्राम बौराज व आ.ख.नं. 150 रकबा 0.29 हैक्टे. वाके ग्राम नंगला नाथूराम एवं आ.ख.नं. 679 रकबा 1.22 हैक्टे. एवं आ.ख.नं. 608 रकबा 0.98 हैक्टे. वाके भुसावर द्वितीय तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें मुताबिक जमाबन्दी वादीगण सायलान एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान काविज काश्तकार एवं खातेदार है एवं खातेदार अमीरी पत्नि जगन का स्वर्गवास को गया है। जिसके तरके पर वादीगण सायलान व तरतीवी प्रतिवादीगण गैरसायलान काविज काश्त एवं खातेदार है।

वाद पत्र की मद नंबर 01 में वर्णित आराजीयात वादीगण सायलना एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या 01 लगायत 20 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की आराजी है। जिसका विभाजन वादीगण सायलान एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। लेकिन मौके पर वादीगण सायलान एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान ने आराजी का बाहमी मनवट कर रखा है और उसी अनुसार वादीगण सायलान एवं प्रतिवादीगण गैरसायलान अपने–2 हिस्सों की आराजी पर शान्ति पूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

...श्त करते चले आ रहे है। लेकिन असल प्रतिवादीगण गैरसायलान बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म के व्यक्ति होने की वजह से वादीगण सायलान को उनके हिस्से का पूरा–2 लाभ प्राप्त नहीं होने देते है और विवादित आराजी में से अच्छी–2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेते हुए किसी दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करना चाहते है और वादीगण सायलान को अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर वंचित करने पर आमादा है। जबकि असल प्रतिवादीगण गैरसायलान को वादग्रस्त आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने एवं वादीगण सायलान के हिस्से की आराजी के बाबत कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि असल प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण कोई उपस्थित नहीं आया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी गई।

हमने बहस एकपक्षीय प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो इस नतीजे पर पहुंचते है कि विवादित आराजी ख.नं. 391, 394, 396, 359, 362, 381 वाके ग्राम बौराज व आ.ख.नं. 150 वाके ग्राम नंगला नाथूराम व आ.ख.नं. 679, 608 वाके ग्राम भुसावर द्वितीय के पक्षकारान मुकदमा हाजा सहखातेदारान काश्तकार व काविज संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण भूमि के प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का उसके निहित हिस्से के अनुसार कब्जा माना जायेगा। ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष प्रभावित नहीं हो, इस दृष्टि से प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है व दिनांक 17.12.2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को संशोधित जारी की जाती है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की रिकॉर्ड व मौके की स्थिति तार्फैसला दावा यथावत बनाये रखें, ताकि दौराने दावा कोई भी पक्ष भूमि के कब्जे में तब्दील नहीं कर सके व भूमि को खुर्द–बुर्द पेचीदगी पैदा नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)